राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लादू उर्फ़ लादूराम बनाम हरसहाय

तारीख हुक्म	60/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 04/02/2026 को पेश हो।	
04/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1243 रकबा 4.4300 हैक्टेयर चाही दोयम भूमि वाके ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित हैं जिसके अन्य सहखातेदारान् के साथ प्रार्थीगणं अभिलिखित संयुक्त काबिज खातेदार हैं। प्रार्थीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के चारों ओर कोई भी आने जाने का राजस्व नक्शें में रास्ता दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 1247 जो अप्रार्थी संख्या 1 की तन्हा खातेदारी एवं खसरा नंबर 1249 जो अप्रार्थी संख्या 2 की तन्हा खातेदारी तथा खसरा नंबर 1250 जो. अप्रार्थी संख्या 3 की तन्हा खातेदारी एवं खसरा नंबर 1251 जो अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 14 की संयुक्त खातेदारी तथा खसरा नंबर 1252 जो अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं में होकर आते जाते हैं जिसकों नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित किया गया हैं। जो गैरमुमकिन रास्ता खसरा नंबर 1260 से प्रारम्भ होता हैं तथा खसरा नंबर 1247 एवं खसरा नंबर 1249,1250 1251,1252 की सींवडोल अर्थात् खसरा नम्बर 1247 की दक्षिण पश्चिम की ओर से खसरा नम्बर 1249, 1250,1251,1252 की उत्तर-पूर्वी के मध्य उक्त नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते के अलावा ओर कहीं से भी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में आने जाने की कोई पगडंडी व रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की उक्त कथित कृषि भूमि खसरा नंबर 1243 से लगवा संयुक्त हिस्से की कोठी गै.मु.चाह खसरा नंबर 1248 तक आने जाने के लिये व कृषि कार्य हेतु अरसा कदिम से पक्षकारान् द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग- उपभोग पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि कार्य हेतु किया जाता रहा हैं किन्तु इस रास्ते का अंकन राजस्व नक्शें में नहीं हैं तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में आने-जानें का अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लादू उर्फ़ लादूराम बनाम हरसहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1243 स्थित ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला. जयपुर में कृषि भूमि स्थित हैं जिसमें वर्तमान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि में अरसे दराज से खसरा नंबर 1247 व 1249,1250,1251,1252 में होकर आते-जाते रहे हैं तथा. अब उक्त अप्रार्थीगण खसरा नंबर 1247 व 1249,1250,1251,1252 में होकर आने-जाने नहीं देते हैं और रास्ते का उपयोग उपभोग करने में दखल बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीगण को अपनी संयुक्त भूमि पर. कृषि कार्य में काम आने वालें साधनों को लाने जाने में काफी परेशानी होती हैं, इसलिये. प्रार्थीगण काश्तकारान् को अपनी संयुक्त काश्त की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता हैं जिसे अपनी संयुक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया | अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिंग पेश की गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट पेश की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/05/2018 पारित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश प्रदान किये गये कि वे ग्राम आंधी के खसरा नम्बर 1243 में खसरा नम्बर 1260 गैर. मु. रास्ता से कृषि कार्य करने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1249 में से 98 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 1250 में से 64 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 1251 में से 72 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 1252 में से 316 वर्ग मीटर कुल लम्बाई 158 वर्ग मीटर *4 मीटर चौड़ाई = कुल 632 वर्ग मीटर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली को न्याय आपके द्वारा कैम्प आंधी में नियत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लादू उर्फ़ लादूराम बनाम हरसहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्पों में सहमति से ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है किन्तु ऐसा नही कर पक्षकारान के मध्य सहमति बनाये बगैर गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/05/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	